न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024 / 168 **दायरा दिनांक : 14.10.2024**

उनवान

श्यामलाल उर्फ घनश्याम आत्मज बंशीलाल उर्फ बंशीधर, जाति गूजर, निवासी 3 / 30, स्वामी विवेकानन्द कोलोनी, हाउसिंगबोर्ड, कोटा (राज०) .... अपीलांट

बनाम

1. रामभरोसी पुत्री किशनचन्द्र, जाति गूजर, निवासी ग्राम बम्बूलिया कलां, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज०)
2. मदनलाल आत्मज बंशीधर, जाति गूजर, निवासी ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज०)
3. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार अन्ता, जिला बारां (राज०)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आज्ञादि गंड
8.4.25

मनोज कुमार वर्मा

उपस्थित – श्री धीरेन्द्र मालव अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री उत्पल शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 2 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

निर्णय **दिनांक : 12.03.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता के प्रकरण संख्या – 164 / 2015 निर्णय दिनांक 26.07.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट व रेस्पोडेंट नं. 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 व धारा 151 जाप्ता दीवानी पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम अन्ता में खाता संख्या 57 में खसरा नम्बर 991 रकबा 0.35 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 992 रकबा 0.05 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 993 रकबा 0.12 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 994 रकबा 0.01 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 995 रकबा 0.01 हेक्टेयर किता 5 रकबा 0.54 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज है जो हाल सेटलमेंन्ट से पूर्व किशनचन्द व मदनलाल व श्यामलाल वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 के पिता के संयुक्त खाते दर्ज थी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता ने अपने निर्णय दिनांक 26.07.2024 से वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 व

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

धारा 151 सी. पी. सी. उक्त वाद पत्र के सन्दर्भ में मेंटेनेबल नहीं होने व तार्किक आधार नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि वाद संख्या 164/2015 जो मदनलाल व श्यामलाल पिसरान बंशीधर गूजर ने रामभरोसी व सरकार के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में पेश हो रहा है, वह वाद में श्यामलाल उर्फ घनश्याम ने वादी नम्बर–2 ने पेश नहीं किया था, केवल मात्र मदनलाल ने पेश किया था। इस वाद में श्यामलाल ने किसी को वकील भी नियुक्त नहीं किया, इसी प्रकार वाद–पत्र व वकालतनामें तथा सत्यापन पर श्यामलाल के हस्ताक्षर भी नहीं है। इसी प्रकार उस वाद में समझौता लोक न्यायालय में दिनांक 26.05.2016 को पेश किया था, उस पर भी श्यामलाल के हस्ताक्षर नहीं है तथा अगली पेशी पर वकील वादी ने नोट प्रेस में खारिज करा लिया। जबकि अपीलाण्ट ने वाद ही पेश नहीं किया, अपीलाण्ट को उस वाद की जानकारी भी नहीं थी। इसके बावजूद भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने नया वाद पेश करने की हिदायत के साथ प्रार्थना–पत्र निरस्त करने में भारी त्रुटि की है। क्योंकि यदि वाद संख्या–164/2015 में संलग्न राजीनामा के सम्बन्ध में जब तक सक्षम न्यायालय से अपीलाण्ट द्वारा वाद पेश नहीं करने का निर्णय नहीं हो जावे तब तक वह वाद व उसका निरस्त होना अपीलाण्ट के नये दावे को भी बाधित करेगा। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मदनलाल द्वारा जो आपराधिक कृत्य किया था, उसकी जांच नहीं कर प्रार्थना–पत्र निरस्त करने में भारी त्रुटि की है। न्यायालय को वाद संख्या 164/2015 की पत्रावली मंगाकर अपीलाण्ट के हस्ताक्षरों की जांच कर उचित निर्णय देना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जब पक्षकारों के द्वारा अपराध करने का कथन आवे तो उसके सम्बन्ध में उचित शहादत लेकर निर्णय करना चाहिये था। वाद नोट प्रेस करने से दिनांक 27.05.2016 को खारिज हुआ था, जबकि अपीलाण्ट की उपस्थिति नहीं थी तथा वकील जिसने नोट प्रेस किया वह भी अपीलाण्ट का वकील नहीं था, जिससे प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 9 का मेंन्टेनेबल नहीं था। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेंमो में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.12.2015 को दावा दायर किया गया है। लोक अदालत में रामभरोस, मदनलाल ने राजीनामा दिनांक 26.05.2016 को पेश किया था। दिनांक 27.05.2016 को श्यामलाल के अधिवक्ता ने नोटप्रेस किया। अधीनस्थ न्यायालय में वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 व

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

धारा 151 सी. पी. सी. मेंटेनेबल नहीं होने व तार्किक आधार नहीं होने से खारिज कर दिया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि वादी दोनों मांगीलाल के दो पुत्र बंशीधर व किशनलाल है, बंशीधर के दो पुत्र मदनलाल व श्यामलाल वादी एवं किशनलाल के रामभरोसी पुत्री है। अधीनस्थ न्यायालय में बंटवारा व घोषणा का दावा किया था। बंशीधर की मृत्यु के बाद भूमि किशनलाल के दर्ज हो गई थी, इसी की घोषणा का दावा अधीनस्थ न्यायालय में किया था।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27.05.2016 से यह स्पष्ट है कि अभिभाषक वादी द्वारा वाद को नोट प्रेस किया गया था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद नोट प्रेस में खारिज किया गया है। इस आदेश के विरूद्ध वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 व धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आदेश दिनांक 27.05.2016 निरस्त फरमाया जावे तथा वाद को पुनः रजिस्टर किया जावे। कानूनी स्थिति से यह स्पष्ट है कि नोट प्रेस के मामले में आदेश 23 नियम 1 सीपीसी के प्रावधान लागू होते है। जिसके अन्तर्गत वादी सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी के विरूद्ध अपने वाद का परित्याग या दावे के भाग का परित्याग करने का अधिकारी है परन्तु वादी नोटप्रेस से अपना वाद खारिज करवाता है तो रेस्टोरेशन के प्रावधान मेन्टेनेवल नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.07.2024 विधि सम्मत प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.07.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/03/25

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा